न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 32 / 2025 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. ओमप्रकाश पुत्र जालूराम 2. डालुराम पुत्र जालूराम 3. भंवरलाल पुत्र जालूराम 4. पूरोदेवी पत्नी जालूराम 5. सताराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी मेराजोणियों की ढाणी तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर		1. जालूराम पुत्र कोशलाराम जाति जाट निवासी मेराजोणियो की ढाणी तहहसील बाटाडू जिला बाड़मेर 2. राज. राजय जरिय तहसीलदार बाटाडू

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 607 / 2024 बउनवान जालुराम बनाम ओमप्रकाश में पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री विष्णु चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा उतरदाता संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—03.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा मेराजोणियो की ढाणी, तहसील बाटाडू के खसरा संख्या 1952 / 1843 रकबा 2.5969 हेक्टयर का आया हुआ है। प्रार्थी को अपने खेत तक पहुंचने हेतु विप्रार्थी संख्या 01 से 05 के खेत मौजा मेराजाणियों की ढाणी, तहसील बाटाडू के खसरा संख्या 1467 रकबा 2.2086 हेक्टयर में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को जबाव पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में उतरदाता संख्या 01 द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश करने पर एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपति प्रस्तुत करने के बावजूद भी उतरदाता संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र पर स्वीकार कर आलोच्य आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को नजर अन्दाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा मौका रिपोर्ट तहसीलदार बाटाडू से तलब की गई जिसमें श्रीमान तहसीलदार ने मौके पर न जाकर आर आई व हल्का पटवारी को मौके पर भेजा उन्होने मौका देखे बिना ही अपने कार्यालय में बैठकर उतरदाता संख्या 01 के साथ मिलीभगत कर अपना निजी हित साधने हेतु उतरदाता संख्या 01 के कहे अनुसार गलत मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अपीलार्थी के उक्त मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान नहीं है। मौजा मेराजोणियो की ढाणी, पटवार हल्का बाटाडू, तहसील बाटाडू के खेत खसरा संख्या 1843/1450 रकबा 60 बीघा का था। बाद में बंटवारा होने से नये खसरा बने हैं। जिसमें प्रार्थी का खसरा संख्या 1952/1843 भी सम्मिलित है। प्रार्थी ने खसरा संख्या 1952/1843 में आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है, जो मूल खसरा संख्या 1843/1450 का भाग है। मूल खसरा संख्या 1843/1450 रास्ता से जुड़ा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर कभी भी रास्ता नहीं रहा। अपीलाधीन रास्ते की उत्तरदराता को कोई अत्यांतिक आवश्यकता नहीं थी केवल मात्र अपनी जोत के सुविधाजनक उपभोग एवं उपयोग के लिए रास्ते का आवेदन किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। यदि उतरदातागण द्वारा प्रस्तावित रास्ते के बदले क्षतिपूर्ति स्वरूप भूमि के बदले भूमि दी जाती है तो अपीलांटस रास्ता सहमति से देने पर विचार कर सकता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात्

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपील के जरिये आपत्ति की गई कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई जबकि कानून में प्रावधान है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए में भू अभिलेख निरीक्षक स्तर का कर्मचारी/अधिकारी मौका रिपोर्ट तैयार कर अदालत में पेश कर सकता है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कहीं अधिक दूरी का तथ्य गैर वाजिब है। अपीलांटस के अधिवक्ता द्वारा वक्त बहस प्रस्तावित रास्ते में जितनी भूमि आ रही है उतनी भूमि देने की बात की गई। जबकि उत्तरदातागण द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना में क्षतिपूर्ति की राशि तहसीलदार कार्यालय में जमा करवाई। उसके बावजूद अपीलांटस व उत्तरदातागण पड़ौसी संलग्न खेत के खातेदार नहीं होकर अपीलांटस एवं उत्तरदातागण के खातेदारी भूमि के मध्य अन्य खातेदारों की भूमि स्थित है इसलिए भूमि के बदले भूमि दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम/सुगम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। मौका रिपोर्ट दिनांक 19.02.2025 में स्पष्ट वर्णित है कि प्रार्थीगण के खेत से डामर सड़क तक पहुंचने हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं हैं।" उपरोक्त मौका रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुंचने हेतु

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपत्ति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत है जिनमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपत्ति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलांटस द्वारा येन केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 607/2024 बउनवान जालुराम बनाम ओमप्रकाश में पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार बाटाडू को आदेशित किया जाता है कि उत्तरदातागण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु प्रदत्त रास्ते को नियमानुसार सार्वजनिक आवागमन हेतु तुरंत प्रभाव से खुलवा कर सुचारू करे।

3/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर